रामेश्वर आदि बनाम गुल्लाराम आदि 27/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.5.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. वास्ते बहस दिनांक 18.6.25 को पेश हो।	
18.6.25	पत्रावली पेश। बहस वकील अपीलांट सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.6.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
25.6.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट.................... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 27/2023

1 रामेश्वर उम्र 70 साल पुत्र भूदाराम
2 जगदीश उम्र 61 साल पुत्र भूदाराम
3 छोटी देवी उम्र 91 साल पत्नी स्व. भूदाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी झरी बिसनावाली तन नीमेड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 गुल्लाराम उम्र 72 साल पुत्र सेडूराम
2 मदन उम्र 50 साल पुत्र सेडूराम
3 अर्जुन उम्र 46 साल पुत्र सेडूराम
4 भींवाराम उम्र 46 साल पुत्र सेडूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी झरी बिसनावाली तन नीमेड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
5 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध डिक्री एवं निर्णय दिनांक 13.05.2022
न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला
जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार
आरएएस मु.नं. 450/2013 बउनवानी रामेश्वर आदि
बनाम गुल्लाराम आदि दावा बाबत इस्तकरार हक
व स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल , अधिवक्ता अपीलांट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 25/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 450/2013 में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 558, 559, 568, 569, 570, 602, 604, 605, 607 वाके ग्राम सेवा की ढाणी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवाधक संख्या 1 ता 4 एंव तनकी संख्या 7 का निष्कर्ष मनमाना होकर आरबीट्रेरी है जिसका निष्कर्ष दिया जाने से पूर्व वाद पत्र के तथ्यों एवं साक्ष्य का विचारण न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क से तथा विधिपूर्ण विवेचन नहीं किया एवं सरसरी तौर पर ही अपीलान्टस के वाद पत्र को खारिज कर दिया जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा किया गया राजीनामा पर भी कोई मत प्रकट नहीं किया जबकि आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों से स्पष्ट है कि विधिपूर्ण राजीनामा लिखित में हो एवं दोनों पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा पर पक्षकारान के हस्ताक्षर हो तो मुताबिक राजीनामा वाद को डिक्री किया जाना चाहिए। वादपत्र के तथ्यों एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिया गया जवाब के तथ्यो का अवलोकन किया जावे तो मृतक खातेदार लादू प्रथम श्रेणी का वारिस छोडे बिना मृत्यु को प्राप्त हुआ जिसका वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में 1/8 हिस्सा पर नाम दर्ज रहा है उक्त 128 हिस्सा के अनुसार कृषि भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

खसरा नम्बर 558, 559, 568, 569, 602, 604, 605, 607, 686/570, 687/570 कुल किता 10 कुल रकबा 8.04 हैक्टेयर वाके ग्राम सेवा की ढाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर में क्षेत्रफल 1.0050 हैक्टेयर बनता है उक्त 1.005 हैक्टेयर कृषि भूमि पर अपीलान्टस का निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से कब्जा है इस संदर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सगे भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 द्वारा अपीलान्टस से किया गया राजीनामा का अवलोकन किया जावे तो उक्त राजीनामा से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पूर्णतया प्रमाणित था इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने विवाधक संख्या 5 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 गुल्लाराम के विरूद्ध निर्णित किया है उक्त विवाधक में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रमाणित करना था कि वह मृतक लादूराम का दत्तक पुत्र है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित नही कर सका कि वह लादूराम का दत्तक पुत्र है ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित हो गया था कि मृतक लादू के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 10 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं था इस स्थिति में भी यदि वादग्रस्त 1/8 हिस्सा की संपूर्ण कृषि भूमि यदि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता भूदाराम को भाई बट में प्राप्त नहीं भी होती तो भी विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित थी कि मृतक लादू द्वारा मृत्यु के समय छोडी गयी संपदा में 1/2 हिस्सा अपीलान्टस को प्राप्त होता एवं शेष 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 को प्राप्त होता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 ने अपीलान्टस की भूमि होना स्वीकार करने के कारण उनके हिस्सा में उत्तराधिकार के तौर पर आने वाला हिस्सा 1/2 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा भी अपीलान्टस का ही था इस प्रकार से विचारण न्यायालय के समक्ष 1/8 हिस्सा के अनुसार 1.005 हैक्टेयर भूमि में से 7/8 हिस्से की 0.8794 हैक्टेयर भूमि का तो कोई विवाद ही नहीं था मात्र 1/8 हिस्सा के अनुसार 0.1256 हैक्टेयर भूमि का ही विवाद था अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के तथाकथित हक हिस्सा को देखा जावे तो उक्त भूमि मृतक लादू के जीवनकाल से ही अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता भूदा के हिस्सा में नहीं भी होती तो भी मृतक लादू द्वारा छोड़ी गयी 1.005 हैक्टेयर भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/8 हिस्सा ही प्राप्त होता। जिसके आधार पर 0.1256 हैक्टेयर कृषि भूमि ही बनती है उस पर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा नहीं होकर भाईबंट के अनुसार अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का ही कब्जा था। फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को खारिज कर दिया। वादीगण विवादित भूमियों की खातेदारी 1/8 हिस्सा की मृतक लादूराम के नाम दर्ज चली आ रही है वादीगण के पिता भूदाराम व प्रतिवादीगण के पिता सेडूराम व लादूराम सगे भाई थे लादूराम बड़ा भाई व कर्ताखानदान होने के कारण विवादित भूमि की खातेदारी गलत रूप से लादूराम के नाम दर्ज हो गयी थी जबकि भाई बंटवारे में विवादित भूमियों में से 1/8 हिस्से की भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता के हिस्से में आयी थी तथा मौके पर वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रदर्श पी–5 से पी–10 गिरदावरियों भाई बंटवारा के समय की नहीं है एवं संवत 2034 के पश्चात राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के बाद गिरदावरियां काश्त के संबंध में खातेदार के नाम से दर्ज करने का आदेश है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 में से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने वादीगण के वाद पत्र का प्रविवाद ही नहीं किया एवं दिनांक 19.01.2016 को विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया उक्त राजीनामा को विचारण न्यायालय ने तस्दीक किया उक्त राजीनामा में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उक्त भूमि बाहमी बंटवारा में लादू पुत्र पूरा हिस्सा 1/8 वादीगण के हिस्सा में आयी हुई है उक्त 1/8 हिस्सा पर हमारा कोई कब्जा काश्त नहीं है ना ही उक्त हिस्सा पर हम काबिज काश्त रहे है विवादित भूमि के 1/8 हिस्सा पर वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रथमतया नाऔलाद फौत लादू द्वारा छोडा गया 1/8 हिस्सा की भूमि में 1/2 हिस्सा तो वादीगण का उत्तराधिकार के क्रम में ही बनता था एवं शेष 1/2 हिस्सा मे से 324 हिस्सा के उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 अपीलान्ट के वादपत्र के तथ्य स्वीकार कर चुके थे जिन्होंने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का भी किसी भी भू–भाग पर कब्जा ना होना स्वीकार किया था। ऐसी स्थिति में प्रतिकुल कब्जा भी अपीलान्टस का प्रमाणित था। मृतक लादूराम के नाम दर्ज 1/8 हिस्से में से तो 7/8 हिस्से का तो विचारण न्यायालय के के समक्ष कोई विवाद ही नहीं था बल्कि मात्र 1/8 हिस्से का ही विवाद था जिनके संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ही प्रतिवाद कर रहा था उक्त प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया प्रतिवाद को इसलिए विश्वसनीय नहीं का जा सकता की उसके 3 भाईयो ने अपीलान्टस का ही कब्जा काश्त होना स्वीकार किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विवाधक में से भी खसरा गिरदावरियों का अवलम्ब लेकन कानूनी भुल की है जब भूमि भाई बंटवारा में अपीलांट के हिस्सा में आयी हो एवं उसे अन्य प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया हो उस स्थिति में विवाधक संख्या 4 को वादीगण के पक्ष में निर्णित करना न्यायसंगत था। अपीलान्टस को चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं निर्णय की जानकारी अंदर मियाद इसलिए नहीं हुई कि अपीलान्टस के अधिवक्ता ने चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नही दी अपीलान्टस ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिन्हें अधिवक्ता ने निर्णय होने पर सूचित करने का आश्वासन दिया था। अपीलान्ट संख्या 1 दिनांक 23.01.2023 को अधिवक्ता महोदय के पास गया व अपने वाद पत्र की जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि उक्त वाद पत्र का निर्णय जो दिनांक 13.05.2022 को ही हो गया था परन्तु मैं भूलवश सूचना नहीं दे सका इस पर अपीलान्ट संख्या 1 ने अधिवक्ता को उलाहना दिया व शीघ्र ही नकल दिलाने के लिए कहा तब अपीलान्ट का निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 24.01.2023 को प्राप्त हुई एवं शीघ्र ही अपील प्रस्तुत की जा रही है अपीलान्टस ने अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर देरी नहीं की जबकि मजबूरीवश देरी हुई है इसलिए न्यायहित में निर्णय व डिक्री की दिनांक 13.05.2022 से लेकर नकल प्राप्त होने की दिनांक 24.01.2023 तक की अवधि को कंडोन किया जाने पर अपील अंदर मियाद कानूनी मियाद है। उक्त अवधि को कंडोन करवाने हेतु अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अवधि का आवेदन सादर प्रस्तुत है। अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जावें एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को खारिज किया जावे तथा अपीलान्टस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया वाद पत्र संख्या 450/2013 बउनवानी रामेश्वर आदि बनाम गुल्लाराम आदि को स्वीकार करके डिक्री किया जाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1996 पेज 535, आरआरडी 1983 पेज 310, आरआरसी 1999 पेज 508, आरएलडब्ल्यू 2017(1) रेव पेज 288, डीएनजे राज. 2007(3) पेज 1339, आरएलडब्ल्यू 1993(1) पेज 465 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण व प्रतिवादीगण मदन, अर्जुन, भींवा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से दिनांक 19.01.2016 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। राजीनामें पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित है। इस राजीनामे में पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को राजीनामा पढ़कर सुनाकर दिनांक 19.01.2016 को राजीनामा तस्दीक किया है। इस राजीनामें में मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री करने पर सहमति जारी की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2032 से 2035, मिलान क्षेत्रफल, मृत्यु प्रमाण–पत्र, खसरा गिरदावरी संवत 2017 से 2020, संवत 2013 से 2017, 2009 से 2012, 2029 से 2032 साक्ष्य में प्रस्तुत की गई है।

विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजीनामें का कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय को पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का एवं राजीनामें का तनकीवार विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित करना चाहिए था। ऐसा नही कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य एवं राजीनामें का तनकीवार विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 25/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर